नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

7-13 वकील सायल उप०। वकील ~~प्रतिवादी~~ अप्रार्थी हाजिर० वास्ते दर्ज वी अप्रार्थी नं० 2 की जवाब 4.7.13 दिनांक 21.8.13 को पेश हो। [signature]

21-8-13 पत्रावली पेश हुई/~~वकील वादी~~/ वकील उभयपक्ष उपस्थित है। श्रीमान P.O. साहब दौरे पर है। ~~अवकाश पर है/का स्थानान्तरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली दि० 12-9-13 को पेश हो।

[signature]
रीडर

12-9-13 वकील सायल उप० है। गै०सा० नं० 1 व उनके वकील हाजिर नही है। गै०सा०नं० 2 को दि० 3-7-13 की पेशी के लिए सम्मन तामील हो चुका है परन्तु वह अदालत मे उपस्थित नही हुआ है। अतः गैरसायल नं० 1, 2 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। वास्ते बहस पत्रावली दि० 17-10-13 को पेश हो। [signature]

17-10-13 पत्रावली पेश हुई/~~वकील वादी~~/ वकील उभयपक्ष उपस्थित है। श्रीमान P.O. साहब दौरे पर है। ~~अवकाश पर है/का स्थानान्तरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली दि० 26-11-13 को पेश हो।

[signature]
रीडर

26-11-13 पत्रावली पेश हुई/~~वकील वादी~~/ वकील उभयपक्ष उपस्थित है। श्रीमान P.O. साहब दौरे पर है। ~~अवकाश पर है/का स्थानान्तरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली दि० 2-1-14 को पेश हो।

[signature]
रीडर

2-1-2014 वकील ~~उभयपक्ष~~ सायल उप० है। बहस T.I. सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दि० 3-1-2014 को पेश हो। [signature]

3-1-14 वकील सायल उप० है। भूमि ख०नं० $\frac{665}{0.53}$, $\frac{758}{1.40}$ ग्राम सलेमपुर की मौका व रेकार्ड कि स्थिति तापैसला दावा यथावत बनाए रखने हेतु गै०सा० नं० 1, 2 को पाबंद किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा शामिल किया गया। पत्रावली जाब्ता पत्रावली मे शामिल किया गया। पत्रावली बाद फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

22/2012 3.2.2012 31.1.2014

विजय आयु 14 वर्ष नाबालिग दत्तक पुत्र गिर्राज जाति गुर्जर जरिए वादमित्र नैसर्गिक माता ममता पत्नि रामस्वरूप, गुर्जर निवासी सलेमपुर तहसील गंगापुर सिटी ——सायल

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र गोपाल, गुर्जर निवासी सलेमपुर तहसील गंगापुर सिटी
2. रामस्वरूप पुत्र गोपाल, गुर्जर निवासी सलेमपुर तहसील गंगापुर सिटी
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार सब रजिस्ट्रार गंगापुर सिटी ——गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित:— श्री रामदयाल त्रिवेदी, एडवोकेट, सायल की ओर से

निर्णय

सायल ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया है कि सायल के नैसर्गिक पिता रामस्वरूप के दो सगे भाई रामजीलाल व गिर्राज थे जिनमें से गिर्राज अविवाहित था। गिर्राज ने अपने जीवनकाल में सायल को 14 जनवरी 2010 को मकर संक्रान्ति सं0 2066 को हिन्दू रीति रिवाज से गोद ले लिया । जब से सायल गिर्राज के पास उसके पुत्र के तौर पर रहने लगा। दिनांक 28.2.2010 को गिर्राज का आकस्मिक रूप से निधन हो गया । सायल ने ही स्व0 गिर्राज का बतौर पुत्र दाह संस्कार किया और सारे क्रियाकर्म किए । गांव वाले व समाज के समस्त व्यक्तियों ने गिर्राज की पगडी सायल को बंधा दी । गैरसायल सं0 1 व 2 ने गोद व पगडी संस्कार में भाग लिया था । समस्त गांव वाले अब सायल को गिर्राज के पुत्र के तौर पर ही मानते आ रहे हैं । सायल के दत्तक गृहिता पिता की व उसके अन्य दो भाई गैरसायल नं0 1 व 2 की सम्मलित में भूमि ख0नं0 665 रकबा 58 एयर, 758 रकबा 1.40 हैक्टर ग्राम सलेमपुर में है। इस भूमि में गिर्राज की मृत्यु के बाद सायल का स्वामित्व व कब्जा है। सायल व गैरसायल सं0 1 व 2 का इस भूमि में प्रत्ये का 1/3 हिस्सा है परन्तु अभी तक सायल के हक में नामान्तरकरण नहीं खुल पाया है। इसका गलत फायदा उठाते हुए गैरसायलान इस भूमि को दीगर आदमियों को बेचान करना चाहते हैं एवं सायल को भूमि से जबरन बेदखल करना चाहते हैं। दिनांक 1.2.2012 को दोनों गैरसायलान ने सायल को धमकी दी कि तुझे भूमि से लाभान्वित नहीं होने देंगे तथा इसे हम दीगर लोगों को बेचान करेंगे । अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला दावा अमर से पाबंद फरमाया जावे कि वे भूमि ख0नं0 665, 758 ग्राम सलेमपुर में सायल को उसके हिस्से 1/3 के उपयोग उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें तथा गैरसायलान को पाबंद किया जावे कि वे भूमि ख0नं0 665, 758 को बिना विभाजन किए किसी को बेचान नहीं करें एवं तहसीलदारजी को रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश फरमाये जावें तथा विक्रय पत्र तस्दीकनहीं करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर गैरसायलान को तलव किया गया। गैरसायल नं0 1 लगायत 3 बाबजूद सूचना हाजिर नहीं हुए अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

सायल ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2067 से 2070, फोटोकोपी नकल नक्शा ट्रेस, फोटोकोपी मृत्यु प्रमाण पत्र गिर्राज पुत्र गोपाल ग्राम सलेमपुर प्रस्तुत किए हैं।

बहस विद्वान वकील सायल एकपक्षीय सुनी गई ।

सायल के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि सायल मृतक गिर्राज का दत्तक पुत्र है इस नाते मृतक गिर्राज की भूमि अब सायल के नाम दर्ज होनी चाहिए क्योंकि गिर्राज की मृत्यु हो चुकी है । भूमि अभी सायल के नाम दर्ज नहीं होने के कारण गैरसायलान भूमि को अन्य लोगों को बेच देना चाहते हैं इससे सायल के हितों पर कुठाराघात होगा । अतः गैरसायलान के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी किया जावे ।

बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। फोटोकोपी नकल जमाबंदी के अनुसार विवादित भूमि गैरसायल नं0 1, गैरसायल नं0 2 व मृतक गिर्राज की सहखातेदारी में दर्ज है एवं जमाबंदी के इन्द्राज के अनुसार विवादित भूमि में मृतक गिर्राज का 1/3 हिस्सा बनता है। सायल मृतक गिर्राज के गोदपुत्र के आधार पर विवादित भूमि में अपना हक जताता है परन्तु गोदपुत्र होने का तथ्य अभी साबित नहीं हुआ है । सायल के गोदपुत्र साबित नहीं होने तक एवं भूमि में सायल का नाम दर्ज नहीं होने तक सायल गैरसायलान के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है परन्तु यहां यह देखा जाना भी न्यायोचित है कि मूल वाद में सायल के गोदपुत्र साबित होने तक विवादित भूमि की मौका एवं रेकार्ड की स्थिति यथावत बनाए रखी जावे ताकि विवादित भूमि में सायल के यदि कोई अधिकार बनते हों तो वे प्रभावित नहीं हों। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण इसी प्रकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार निर्णित किया जाता है कि गैरसायल नं0 1 व 2 मूल वाद के निर्णय होने तक भूमि ख0नं0 665 रकबा 58 एयर, 758 रकबा 1.40 हैक्टर ग्राम सलेमपुर की मौका एवं रेकार्ड की स्थिति यथावत बनाए रखें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल मूल वाद के साथ संलग्न रहे ।

निर्णय आज दिनांक 31.1.2014 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

31/1/14

(मुकेश कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी